2023/198

फर्द अहकाम

श्यामा महेश्वरी बनाम प्रदीप सिंह

न्यायालय ACM चौमू

केस संख्या 72/2023

दावा धारा 88 RT Act

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/10/23	श्री सावर चौधरी वकील ने दावा पेश किया। रिपोर्ट हो चुकी है दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को तलबी के जारी पत्रावली दिनांक 27/10/23 को पेश हो।	
	27/10/23	प्रेसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17/11/23 को पेश हो।	
	17/11/23	प्रेसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 08/12/23 को पेश हो।	
	08/12/23	वकीलों द्वारा आज कण्डोलेंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 03/01/24 को पेश हो।	
	03/1/24	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री सुरेश चन्द बड़वाडिया वकील ने जवाब दावा पेश किया। नकल दिलायी गयी। प्रतिवादी सं. 2 बाद तामील अनुपस्थित है। पत्रावली अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 05/1/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर	
	05/1/24	प्र.क्र. 39.1 वकील वादी व प्रतिवादी के मुताबिक वाद के अनुसार अन्तिम डिक्री हेतु निवेदन किया। बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। सहायक कलक्टर (जयपुर)	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खो० मि० किया गया। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

मु0सं0—72/2023
उनवान—श्याम माहेश्वरी बनाम प्रदीपसिंह वगै0
निर्णय दिनांकः—05.01.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश जाखड़ (R.A.S.)

विशेष विवरण

उनवान

श्याम माहेश्वरी पुत्र श्री बद्रीनारायण माहेश्वरी, जाति महाजन, निवासी प्लाट नम्बर 109, करणी मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, जिला जयपुर।

—वादी—

बनाम

1. प्रदींपसिंह पुत्र मोहनसिंह, जाति राजपूत, निवासी प्लाट नम्बर बी—47, अर्जुनपुरी, इमली वाला फाटक, टोंक रोड़, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः—05.01.2024

वादी द्वारा वादपत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ने प्रतिवादी सं0 1 से दिनांक 11.08.2014 को जरिये विक्रय पत्र वाके ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खसरा नं0 846/2173 रकबा 0.49 है0, खसरा नं0 847/2117 रकबा 1.00 है0, खसरा नं0 858 रकबा 2.39 है0, खसरा नं0 859 रकबा 2.40 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 6.28 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/4 भाग खरीद कर बतौर खातेदार काश्तकार है। जिसमें से खसरा नं0 858 रकबा 2.39 है0 भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरमीम होने के कारण राजकीय माध्यमिक विद्यालय मलिकपुर पं0स0 गोविन्दगढ़ द्वारा एक वाद मुकदमा नम्बर 24/2015 उनवानी रा0मा0वि0 मलिकपुर बनाम प्रदीपसिंह पगै0 पेश कर दावा किया कि खसरा नं0 858 एवं 852 की तरमीम स्थान की गलती होने के कारण खसरा नं0 858 पर हाजा वाद के वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 का रकबा 1.35 है0 पर कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। इस वाद से वादी द्वारा उसके हक में हुए विक्रय पत्र को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादी सं0 2 से निवेदन किया तो कब्जे की भिन्नता को लेकर नामान्तकरण नहीं हो सका तथा विवाद खत्म करने व राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने की गरज से वादी ने पूर्ववर्ती वाद में लोक अदालत की भावना से वाद डिक्री किये जाने की सहमति प्रदान कर दी, जिससे दावा दिनांक 22.07.2015 को डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं0 2 तहसीलदार चौमूं को सही तरमीम करने के आदेश फरमाये, जिसके अनुसार डिक्री का अमल किया जाकर तरमीम हो चुका है। जिस कारण प्रतिवादी सं0 1 को खसरा नं0 858 के स्थान पर खसरा नं0 852 रकबा 1.35 हैक्टेयर में 1/4 का खातेदार अन्य खातेदार के रुप में दर्ज कर दिया गया, इस प्रकार विक्रय पत्र का खसरा नं0 858 के स्थान पर खसरा नं0 852 रकबा 1.35 है0 का खातेदार प्रतिवादी सं0 1 को मान लिया गया, जिसके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 11.08.2014 पुस्तक सं0 1 जिल्द 12 में पृष्ठ सं0 9 क्रम सं0 2189 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अति0 पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 34 के पृष्ठ सं0 90 से 99 पर चस्पा होकर उपपंजीयक गोविन्दगढ़ द्वारा पंजीबद्ध है, को

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने से प्रतिवादी सं0 2 तहसीलदार चौमूं द्वारा इन्कार करने से हाजा वाद प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। इस प्रकार अग्रिम मद के खसरा नं0 852 रकबा 1.35 है0 का हिस्सा 1/4 जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है, विवादग्रस्त है। शेष हिस्से के खातेदार से कोई अनुतोष नहीं चाहा जा रहा है, इसी कारण उसे पक्षकार भी नहीं बनाया जा रहा है।

वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा गया है कि विक्रय पत्र दिनांक 11.08.2014 पुस्तक सं0 1 जिल्द 12 में पृष्ठ सं0 9 क्रम सं0 2189 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अति0 पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 34 के पृष्ठ सं0 90 से 99 पर चस्पा होकर उपपंजीयक गोविन्दगढ़ द्वारा पंजीबद्ध है, जिसमें खसरा नं0 858 के स्थान पर खसरा नं0 852 रकबा 1.35 हैक्टेयर भूमि को मानते हुए हिस्सा 1/4 भाग में प्रतिवादी सं0 1 प्रदीपसिंह का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश फरमावें तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रतिवादी सं0 1 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए खसरा नं0 858 के स्थान पर खसरा नं0 852 रकबा 1.35 हैक्टेयर भूमि को मानते हुए हिस्सा 1/4 भाग वादी के हक में इन्द्राज करवाकर उसे खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु अपनी सहमति प्रकट की।

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। वकील वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में खसरा नं0 858 के स्थान पर खसरा नं0 852 रकबा 1.35 हैक्टेयर भूमि को मानते हुए हिस्सा 1/4 भाग में प्रतिवादी सं0 1 प्रदीपसिंह का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर वकील प्रतिवादी भी सहमत है। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 खसरा नं0 858 के स्थान पर खसरा नं0 852 रकबा 1.35 हैक्टेयर भूमि को मानते हुए हिस्सा 1/4 भाग में प्रतिवादी सं0 1 प्रदीपसिंह का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किये जाने हेतु सहमत है, इसलिए न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है तथा वाके ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खसरा नं0 858 के स्थान पर खसरा नं0 852 रकबा 1.35 हैक्टेयर भूमि को मानते हुए हिस्सा 1/4 भाग में प्रतिवादी सं0 1 प्रदीपसिंह का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जाता है। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0–72 / 2023
उनवान–श्याम माहेश्वरी बनाम प्रदीपसिंह वगै0
निर्णय दिनांकः–05.01.2024

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़ (R.A.S.)

उनवान

श्याम माहेश्वरी पुत्र श्री बद्रीनारायण माहेश्वरी, जाति महाजन, निवासी प्लाट नम्बर 109, करणी मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. प्रदीपसिंह पुत्र मोहनसिंह, जाति राजपूत, निवासी प्लाट नम्बर बी–47, अर्जुनपुरी, इमली वाला फाटक, टोंक रोड़, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–72 / 2023

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री राजेश जाखड़ आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद डिक्री किया जाता है तथा वाके ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खसरा नं0 858 के स्थान पर खसरा नं0 852 रकबा 1.35 हैक्टेयर भूमि को मानते हुए हिस्सा 1/4 भाग में प्रतिवादी सं0 1 प्रदीपसिंह का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जाता है। डिक्री जारी हो।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 05.01.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.................सहायक कलक्टर
ओहदा.................चौमूं (जयपुर)

मु0सं0–72/2023
उनवान–श्याम माहेश्वरी बनाम प्रदीपसिंह वगै0
निर्णय दिनांकः–05.01.2024

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)